राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हीरालाल बनाम लक्ष्मण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
225/2013		
1/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/11/2025 को पेश हो।	
04/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये आदेश दिनांक 31/01/2011 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 09/05/2013 को पारित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद पैतृक आराजीयात के आधार पर घोषणा का है एवं घोषणा के वाद का साक्ष्य-सबूत के परिक्षण उपरान्त निस्तारण होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है। ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि का अन्यत्र बैचान/हस्तान्तरण होता है अथवा उसका कृषि स्वरूप परिवर्तित होता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीयां उत्पन्न होना सम्भव है, जिसे न्यायहित में रोका जाना आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 24/02/2005 को हो जाना एवं विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बिना प्रार्थी न्यायालय से किसी प्रकार का कानूनन रिलिफ प्राप्त नही कर सकता है, धारित कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज किये जाने में विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण करते हुये आवश्यक तीनो बिन्दुओ क्रमश: प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का परिक्षण/विवेचन किया जाना आवश्यक होता है	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हीरालाल बनाम लक्ष्मण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में साबित है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/05/2013 निरस्त किया जाता है एवं ता-फैसला मूल वाद ग्राम चाकसू तह. चाकसू स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 10099 लगायत 10116, 10117, 10126, 10135, 10142 लगायत 10150 कुल किता 52 रकबा 13.84 हैक्टेयर की दोनों पक्ष मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर